

न्यायालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सेशन केस संख्या 32/2021

सरकार बनाम सूरज सिंह आदि

03.04.2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सूरज की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शेष अभियुक्तगण उपस्थित हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर आरोप विरचित नहीं होने दिया जा रहा है तथा वादिनी को समझौता हेतु धमकी भी दी जा रही है।

पूर्व की तिथि पर अभियुक्त की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए आरोप पर अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से एक अवसर दिया गया था। अतः वाद की परिस्थितियों में अभियुक्त सूरज का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। शेष अभियुक्तगण भी नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध उत्पीड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी। बचाव पक्ष को आरोप पर अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से एक अवसर दिया जाता है। आरोप पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 17.04.2021 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।